# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
## निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-297600 फैक्स :- 05966-297600 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1499 /18सी. दिनांक, रानीखेत, 23/6/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा

**विषय :-** सौगढ़ पन्तगांव चमड़खान सगीना बौगांव लछमोला लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.225 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं. 36098/2018)।

**संदर्भः-** आपका ऑन लाईन प्राप्त पत्र दिनांक 04.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | इस मोटर मार्ग के प्रस्ताव को डिजिटल मैप के बिन्दु कमांक-18 तक पुनरीक्षित किया जाय। | स्वीकृत समरेखन के अनुसार उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये गये है। स्वीकृत समरेखन विभागीय मानको के अनुसार गठित किया गया है। |

(मोहन चन्द्र जोशी)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/183/2020/एफ0सी0/2657 दिनांक: 29/12/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड भिकियासैण के अन्तर्गत सौगढ़ पचनगीय चमकढ़ान सनीला नौगाँव लछमोली लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.228 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/36098/2018)

सन्दर्भ–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 896/FP/UK/ROAD/36098/2018 दिनांक 23-09-2020

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में 0.225 है0 वन क्षेत्र एवं 2.525 है0 गैर–वन क्षेत्र दर्शाया गया है किन्तु गैर–वन क्षेत्र में वृक्षों की सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह यह सूची इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा यह भी स्पष्ट करें कि प्रस्तावित गैर–वन क्षेत्र 'वन' की परिभाषा में आता है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार मलबा निस्तारण योजना upload करना सुनिश्चित करें। साथ ही राज्य सरकार इस प्रस्ताव को डिजिटल मैप के बिन्दु सं0 18 तक पुनर्सीमित कर प्रस्तुत करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(डॉ0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (कें0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(डॉ0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (कें0)

Urgent
वन भूमि सहायक

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
## निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-297600 फैक्स :- 05966-297600 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com

पत्रांक 992 /18सी. दिनांक, रानीखेत, 8-9-2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा

विषय :- सौगढ़ पन्लगांव धमड़खान सगीना नौगांव लछमोला लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.225 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं. 36098/2018)।

संदर्भ:- आपका ऑन लाईन प्राप्त पत्र दिनांक 06.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव में 0.225 है0 वन क्षेत्र एवं 2.525 है0 गैर वन क्षेत्र दर्शाया गया है किन्तु गैर वन क्षेत्र में वृक्षों की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी है। | इस मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में 0.225 है0 वन क्षेत्र एवं 2.525 है0 गैर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। गैर वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन के अतिरिक्त सूचनाओं के क्रमांक-15 पर अपलोड है। |
| 2 | प्रस्तावित गैर वन क्षेत्र वन की परिभाषा में आता है अथवा नही? | प्रस्तावित गैर वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। वन की परिभाषा में आता है अथवा नही आपके विभाग द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। |
| 3 | मलुवा निस्तारण योजना अपलोड की जाय। | मलुवा निस्तारण की योजना ऑनलाईन के अतिरिक्त सूचनाओं के क्रमांक-16 पर अपलोड है। |
| 4 | इस मोटर मार्ग के प्रस्ताव को डिजिटल मैप के बिन्दु कर्मांक-18 तक पुनरीक्षित किया जाय। | डिजिटल मैप के बिन्दु कर्मांक-18 तक क्या पुनरीक्षित किया जाना है, स्पष्ट नहीं है। |

(मोहन चन्द्र जोशी)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत